

मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान के लिए नामांकन – प्रपत्र 'अ'
FORM 'A' NOMINATION FOR DEATH-CUM RETIREMENT GRATUITY

अधिकारी का अगर अपना परिवार है और उसके एक सदस्य को नामित करना चाहता है।

When the Officer has a family and wishes to nominate one number thereof.

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ, जो मेरे परिवार का सदस्य है और सेवा के बीच में मेरी मृत्यु पर सरकार द्वारा स्वीकृत उपदान जो सेवा निवृत्ति पर मुझे स्वीकार्य बन जाएगा और मेरी मृत्यु पर अदत्त रह जाएगा, स्वीकार करने का अधिकार उसको प्रदान करता/करती हूँ।

I hereby nominate the person mentioned below, who is a member of my family, and confer on her the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death. Name and Relationship Age Contingencies

मनोनीत सदरू का नाम एवं पता Name and Address of nominee	Relationship with officer अधिकारी के साथ संबंध	आयु Age	घटनाओं की आकस्मिकताएँ जिसपर नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा Contingencies on the happenings of which the nomination shall become invalid	व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे नामांकित व्यक्ति का अधिकार दिया जाता है, उसे नामांकित व्यक्ति की मृत्यु, अधिकारी से पहले होने या के बाद होने पर, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के बाद, पारित करेगा। Name, address & relationship of the person/persons, if any to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity	प्रत्येक व्यक्ति को अदा किए जाने वाले उपदान की अंश राशि Amount of share of gratuity payable to each

यह नामांकनदिनांक पर मेरे द्वारा पूर्व किए गए नामांकन का स्थान लेता है और पूर्व नामांकन को रद्द करता है।

This nomination supersedes the nomination made by me earlier onwhich stands cancelled.

Date this.....day of.....20 at.....

अधिकारी का हस्ताक्षर
Signature of Officer

गवाहकों के हस्ताक्षर Signature of Witness (s)

1.

2.

नोट : यह कालम ऐसे भरा जाना चाहिए कि उपदान की पूरी रकम समाविष्ट किया हो जाए। (अराजपत्रित अधिकारी के मामले में कार्यालय प्रधान द्वारा यह भरा जाना है। Note : This column should be filled in so as to cover the whole amount of gratuity. (to be filled in by the Head of Office in the case of Non- Gazetted Officer)

द्वारा नामांकन Nomination by.....

पदनाम Designation..... कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर Signature of Head of Office

कार्यालय Office.....

दिनांक Date :

व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम, पता और संबंध, यदि कोई हो, जिसे नामांकित व्यक्ति का अधिकार दिया जाता है, उसे नामांकित व्यक्ति की मृत्यु, अधिकारी से पहले होने या के बाद होने पर, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के बाद, पारित करेगा।

Name, address & relationship of the person/persons, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the officer or the nominee dying after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity.